

उपखण्ड अधिकारी

क्र. सं.	विराटनगर (जयपुर) दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	मोती लाल vs फारुख आज्ञा विस्तृत रूप से 106/2008 प्रथम पत्र
15-8-08		<p>वकुलाप 30 P.O. का क्षेत्र में पधारें ई-गत आदेश की पालन के दिनांक 15-9-08 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
15-9-08		<p>वकुलाप 30 P.O. का क्षेत्र में पधारें ई-गत आदेश की पालन के दिनांक 24-11-08 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
24-11-08		<p>वकुलाप 30 P.O. का क्षेत्र में पधारें ई-गत आदेश की पालन के दिनांक 14-12-08 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
14-12-08		<p>पगावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित नहीं हुए अतः इनको बत-का आवाज लगावपी जमी कोश उपस्थित नहीं आया। अतः दाला अदम हाजरी अदम पेश की गई। रगारिज किया जाता है। पगावली फौजल थुमार टोकर दारिजल यफ्त एसेवे नम्बर से कत येवे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>

मा / वर्ष

नांक आज्ञा
कार्यवाही